बारे में आपसे चर्चा करूंगा। माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी का भी सार्वजनिक जीवन काफी लंबा है। वे करीब चार दशक से राजनीति में हैं और संसदीय व्यवस्था में हैं, उनका ऐसा मानक हो सके, मैं नहीं मानता हूं, फिर भी मैं बारीकी से अध्ययन करूंगा और कोई भी ऐसी चीज़, पर मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस समय जब हाउस में बोला गया, तब मैं चेयर पर था, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द कहे गए हों। फिर भी मैं देखूंगा।

श्री जयराम रमेश : सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: जयराम जी, ...(**व्यवधान**)... खरगे जी, आपके सदस्य कुर्सी में बैठे-बैठे डिस्टर्ब करते हैं। इतना गंभीर मामला है, यदि कोई बात खरगे जी को छू गई, उस बात का मैं बारीकी से अध्ययन ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सदन, this is not a battle ground. We are not enemies of each other. हम कोई विरोधी नहीं हैं। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष है, अनुभवी लोगों की कमी नहीं है और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरे वार्तालाप में भी सदन के नेता, माननीय नड्डा जी ने आपके बारे में कितनी बातें कहीं हैं। आपका जीवन है, यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं। आपकी वकालत की शुरुआत कहां हुई, जिन महानुभाव ने व्यक्तिगत रूप से चर्चा की, वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जब मैं कर्णाटक गया, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सामने वकालत की है। राजस्थान हाई कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट में की है। मल्लिकार्जुन खरगे जी, जो राज्य सभा और लोक सभा में रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय तक उन्होंने मेरे यहां शुरुआत की थी। आपको आहत करने की कोई भी सदस्य सोचे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे भी कुछ मामलों में देखकर पीड़ा हुई थी। माननीय एच.डी.देवेगौड़ा जी ने कभी नहीं कहा, पर इनके बारे में भी जब कहा गया, मुझे बुरा लगा। तब मैं इसलिए नहीं बोला कि हाउस उद्वेलित था। माननीय एच.डी.देवेगौड़ा जी, पूर्व प्रधान मंत्री और आप उन लोगों में से हैं, जो इस हाउस को सुशोभित करते हैं, उन लोगों में से हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं गंभीरता से देखूंगा और चूंकि इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि मुझे 1993 से 1998 तक माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी के साथ विधान सभा का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है। उनके मन में यह बात नहीं आ सकती है, मैं कह रहा हूं, फिर भी मैं इसको बारीकी से देखूंगा। Now, Shri Mahendra Bhatt. *...(Interruptions)...*

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand to increase the compensation amount for the victims affected by natural disaster

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने तथा ... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: If you show off paper, I will not allow it. ...*(Interruptions)*...

श्री महेंद्र भट्ट : भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुआवजे में वृद्धि करने की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय ,आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है ,परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों के दिशा निर्देश में ही मुआवजा की राशि देने का राज्यों को अधिकार है।

महोदय ,मैं उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं ,वहां पर दैवी आपदा के बार-बार आने से जहां लोगों को विस्थापित करना हमारे लिए चुनौती होता है ,वहीं आपदा में क्षतिपूर्ति की दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को न्यायोचित आर्थिक राशि नहीं मिल पाती है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय ,पहाड़ों में मिट्टी और पत्थर से बने पहाड़ी शैली के मकान होते हैं ,इन्हें पक्के मकान की श्रेणी में नहीं माना जाता है और ये परिवार मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। महोदय , कुछ मकान भूस्खलन क्षेत्र में पूरी तरह धराशाई नहीं होते ,परंतु उन मकानों पर रहना बहुत ही खतरे के दायरे में रहता है। आपदा का मानक है कि जब तक मकान पूर्णतया धराशाई न हो जाए , उन्हें मुआवजा श्रेणी में नहीं लिया जाता है ,जिससे इन परिवारों को मिलने वाले मुआवजे से वंचित रहना पड़ता है।

महोदय ,उत्तराखंड में छोटी जोत के खेत होते हैं तथा बाढ़ एवं भूस्खलन से ये खेत पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ,परंतु आपदा मानकों के अनुसार इन खेतों को मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता है कि उन्हें अपने खेतों को फिर से खेती योग्य करना संभव ही नहीं होता है और अच्छे खेत बंजर हो जाते हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुआवजे की धनराशि में वृद्धि की जाए तथा मानकों में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Mahendra Bhatt: Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).